कार्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, मैनपुरी

पत्रांक संख्या : 222 /रा०पा० मैनपुरी (वि०सू०)–2026 दिनांक:- 20.5.2026

-:: नीलामी सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद मैनपुरी में संचालित संस्था राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी की भूमि पर सूबबूल के 27, शीशम के 17, बेर के 07, सिरस के 03 शहतूत का 01 एवं गूलर का 01 (कुल विभिन्न 56 वृक्ष) वृक्षों की नीलामी संस्था राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी, की भूमि पर दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे संस्था प्रधानाचार्य द्वारा गठित समिति के सम्मुख की जायेगी। समस्त नियम व शर्तें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी के पत्र संख्या 3784/22-1 मैनपुरी, दिनांक 13, मई 2026 के अधीन होगी। जिसकी जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड / संस्था वेबसाइट gpmainpuri.in अथवा नगर पालिका परिषद् मैनपुरी तथा कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी के सूचना पट से प्राप्त की जा सकती है। सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में होगी जिसको किसी भी विसंगति की स्थिति में रद्द किया जा सकता है एवं अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी का होगा। नीलामी के सन्दर्भ में अन्य जानकारी के लिए संस्था बागबानी प्रभारी श्री अमित कुमार से 9411800118 से संपर्क करें।

(मनोज कुमार)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
मैनपुरी

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय पॉलिटेक्निक, मैनपुरी के परिसर में दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 11::00 बजे वृक्षों के पातन के लिए नीलामी हेतु आवश्यक नियम व शर्तें:-

1. नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले वृक्षों के पातन हेतु संबंधित क्रेता को शासनादेश संख्या 1245 / 14-5-2010-91 / 2010 वन अनुभाग-5 दिनांक 10.08.2010 के अनुपालन में पातन अनुमति शुल्क प्रति वृक्ष रूपये 100.00 अर्थात कुल रू० 5600.00 (पांच हजार छह सौ रू० मात्र) जमा कर प्रभागीय निदेशक मैनपुरी के कार्यालय में नियमानुसार पातन अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. संबंधित क्रेता को वृक्षों के पातन से उत्पादित प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु रू० 38.00 प्रति टन जमा कराकर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पास प्राप्त किये प्रकाष्ठ का अभिवहन न किया जायेगा।
3. मूल्यांकित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन अवैध रूप से किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रेता का होगा।
4. नीलामी उपरान्त वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को धरोहर राशि के रूप में रूपये 3000/- (रू० तीन हजार मात्र) संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी प्रक्रिया में भाग करने वाले ठेकेदार दिनांक 29.05.2026 की प्रातः 10.00 से 11.00 बजे के मध्य संस्था परिसर में उपस्थित होकर धरोहर राशि जमा कर दें। तय अवधि में धरोहर राशि जमा न करने वाले ठेकेदार नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे।

20/05/2026

(मनोज कुमार)
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉली
मैनपुरी

Scanned with OKEN Scanner